XII–189(जेल) सी.जे.पी.आर–9.94

बंदी की अपील

संख्या – दण्डित बंदी संख्या – 142/55 नाम – वाहिद खान

पिता का नाम – मोहम्मद अली एकल पीठ (आपराधिक)

निवास स्थान – कदमपारा, गिरारी, थाना पेंड्रा, जिला बिलासपुर आयु – 29 वर्ष

सजा - 10 वर्ष, 100000/– जुर्माना या 2 वर्ष अधिक दिनांक – 16.05.1997

अनुभाग – 20 बी एन.डी.पी.एस. द्वारा डी. जे. बिलासपुर (श्री दिलीप देशमुख)

कैदी को यह समझाया जाता है कि यदि वह कहता है कि वह किसी विधिक व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व कराना चाहता है तो अपीलीय न्यायालय सात दिनों तक प्रकरण को आगे नहीं बढ़ाएगा, जब तक कि विधिक व्यवसायी पहले उपस्थित न हो जाए। यदि विधिक व्यवसायी सात दिनों के भीतर उपस्थित नहीं होता है तो उसकी सुनवाई नहीं की जा सकती है । यदि कैदी यह कहता है कि वह किसी विधिक व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं करवाना चाहता है तो न्यायालय प्रकरण को तुरन्त आगे बढ़ा सकता है तथा मेरे विधिक व्यवसायी को सुनवाई का अवसर देने के लिए बाध्य नहीं होगा, जो कि उपस्थित होना चाहिए।

1. निर्णय की प्रति के लिए आवेदन की तिथि – ________________–________________

2. प्रति प्राप्त होने की तिथि – 16 मई, 1997

3. अपील भेजने की तिथि – संख्या **40/172** दिनांक – 26.05.1997

4. कैदी प्रतिनिधित्व चाहता है या नहीं – हां

संख्या विशेष दंडिक प्रकरण – 157/96 नाम वाहिद खान, पुत्र मोहम्मद अली

सीमित ज़िला में ही जेल बिलासपुर (मध्य प्रदेश)

संख्या 40 / 172 दिनांक 26.05.1997

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अग्रेषित किया गया रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, जबलपुर

प्रकरण में पारित निर्णय या आदेश की एक प्रति के साथ उचित अपीलीय न्यायालय को प्रेषित करने के पक्ष में ।

अधीक्षक

26-05-1997

प्राप्ति की तिथि ___________________________ कार्यालय

अभिलेख प्राप्त होने की तिथि संलग्न करें

____

अपीलीय न्यायालय में अपील का ज्ञापन

____

संख्या _________________________________ दिनांक

________________ 199 ___________

अग्रेषित किया गया

____

(पी.टी.ओ.)

2005:सीजीएचसी:4643

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति विजय कुमार श्रीवास्तव

दण्डिक अपील संख्या 1121/1997

वाहिद खान

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

प्रकाशित दिनांक – 30 – 08 – 2005

सही /–
विजय कुमार श्रीवास्तव
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दण्डिक अपील संख्या 1121/1997

(बंदी की अपील)

अपीलकर्ता : वाहिद खान, पिता मोहम्मद अली,

आयु 29 वर्ष, निवास कदमपारा, गिरारी,

पुलिस थाना पेंड्रा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्ता के अधिवक्ता : श्री राजेंद्र सोनी ।

अतिरिक्त लोक अभियोजक : श्री जे.डी.बाजपेयी तथा प्रत्यर्थी/ राज्य की ओर से –श्री डी.के.ग्वालरे पैनल अधिवक्ता ।

निर्णय

(30.08.2005 को प्रदत्त)

प्रति विजय कुमार श्रीवास्तव, न्यायाधीश

1. यह अपील सत्र न्यायाधीश बिलासपुर द्वारा विशेष दण्डिक प्रकरण संख्या 157/96 में दिनांक 16-5-1997 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय के विरूद्ध की गई है, जिसके तहत अपीलकर्ता को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (इसके पश्चात अधिनियम)

की धारा 20(बी)(ii) के अन्तर्गत दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के लिए कठोर कारावास एवं 1 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है, अर्थदण्ड न चुकाने की स्थिति में 2 वर्ष के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

2. दिनांक 13-9-1996 को सायं लगभग 5 बजे थाना प्रभारी, पेण्ड्रा को सूचना प्राप्त हुई कि अपीलकर्ता ने अपने घर में चरस रखी है। श्री एम.पी. दुबे, थाना प्रभारी ने रोज़नामचा सान्हा में सूचना दर्ज की तथा यह पाते हुए कि यदि तलाशी वारंट प्राप्त करने में समय लगेगा तो अपीलकर्ता चरस को मौके से स्थानांतरित कर सकता है अथवा फरार हो सकता है, अत: उन्होंने इस आशय की प्रविष्टि रोजनामचा सान्हा में की तथा इसके पश्चात अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), गौरेला को आवश्यक सूचना प्रेषित की । श्री एम.पी. दुबे अपीलकर्ता के घर पहुंचे । लिखित सूचना द्वारा उन्होंने गवाहों को बुलाया, अपीलकर्ता को यह भी जानकारी दी कि उसने अपने घर में अनाधिकृत रूप से चरस रखी है, इसलिए घर की तलाशी ली जानी है और उसकी सहमति प्राप्त करने के बाद, सहमति पत्र तैयार किया और गवाहों और अपीलकर्ता की उपस्थिति में अपीलकर्ता के घर की तलाशी ली । तलाशी के दौरान रसोई में चरस से भरा एक लकड़ी का डिब्बा मिला। उसका वजन कराया गया। वजन करने पर उसमें 200 ग्राम चरस निकला तथा उसका एक हिस्सा रासायनिक परीक्षण के लिए नमूने के रूप में अलग कर लिया गया। बरामद चरस को जब्त कर सील कर दिया गया। रासायनिक परीक्षण में जब्त सामग्री चरस (हशीश) पाई गई। विवेचना पूरी करने के बाद अभियोग पत्र दाखिल कर दिया गया है ।

3. अधिनियम की धारा 20(बी)(ii) के तहत आरोप को पढ़कर सुनाया गया और अपीलकर्ता को समझाया गया, जिसने अपने निर्दोष होने का अभिवाक किया । उसका बचाव यह है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है । विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों के समर्थन में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए अपीलकर्ता को

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अधिनियम की धारा 20(बी)(ii) के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी ठहराया और उसे पूर्वोक्त अनुसार दंडित किया ।

4. दोनों पक्षों को सुना गया। विचारण न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया गया ।

5. श्री एम.पी. दुबे, पुलिस उपनिरीक्षक/प्रभारी अधिकारी पुलिस, थाना पेण्ड्रा ने अपने साक्ष्य में यह प्रमाणित किया है कि दिनांक 13–9–1996 को उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि अपीलार्थी ने अपने घर में अवैध चरस रखी है तथा वह अनाधिकृत रूप से उसे बेचने में संलिप्त है । उन्होंने सान्हा क्रमांक 1033 में सूचना दर्ज की और पाया कि तलाशी वारंट प्राप्त करने में देरी होगी और उस समय तक अपीलकर्ता चरस का निपटान कर सकता है, उन्होंने सान्हा क्रमांक 1034 में एक और प्रविष्टि की । इसके बाद उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), गौरेला को लिखित में सूचना भेजी और घटनास्थल के लिए रवाना हो गए । घटनास्थल पर पहुंचकर उन्होंने गवाह ओंकार प्रसाद और बृजेश को लिखित सूचना देकर बुलाया । गवाहों के साथ वे अपीलकर्ता के घर आए । अपीलकर्ता वहां मौजूद था । उन्होंने अपीलकर्ता को बताया कि उसने चरस रखी है, इसलिए तलाशी ली जानी है । अपीलकर्ता ने तलाशी के लिए अपनी सहमति दी । उसने स्वयं और गवाहों ने अपीलकर्ता को व्यक्तिगत तलाशी दी और उसके बाद गवाहों की मौजूदगी में घर की तलाशी ली गई । रसोई में लगभग 200 ग्राम चरस बरामद हुई, पंचनामा तैयार किया गया । वजन करने पर चरस 200 ग्राम पाई गई । नमूने के लिए 10 ग्राम चरस अलग किया गया । बरामद वस्तु को सील कर दिया गया, जब्ती तैयार की गई और फिर अपीलकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया । मौके पर देहाती नालिशी तैयार की गई ।

6. श्री एम.पी. दुबे, पी.डब्लू.–2 ने आगे साक्ष्य दिया कि जब्त की गई संपत्ति को मालखाने में जमा करा दिया गया । पुलिस आरक्षक क्रमांक 134, फेकूलाल के माध्यम से नमूना रासायनिक परीक्षण

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

के लिए भेजा गया था। परीक्षण के बाद रिपोर्ट प्राप्त हुई। विवेचना के बाद उन्होंने चालान दाखिल किया और संपत्ति भी।

7. ओंकार प्रसाद, आ.सा– 1, जो एक स्वतंत्र गवाह है, ने अपने साक्ष्य में कहा कि उसे एक लिखित सूचना के माध्यम से अपीलकर्ता के घर के पास बुलाया गया था। वह और बृजेश अपीलकर्ता के घर पहुंचे। अपीलकर्ता को पुलिस द्वारा सूचित किया गया कि उसके घर की तलाशी ली जानी है, उसके बाद थाना प्रभारी ने अपनी तलाशी दी और उन्होंने भी अपनी तलाशी दी। उन्होंने अपीलकर्ता के घर में प्रवेश किया। अपीलकर्ता ने अपने घर से चरस दी। इसका वजन करने पर यह 200 ग्राम पाई गई। तलाशी के संबंध में दस्तावेज तैयार किये गये। वजन और नमूनाकरण किया गया और आवश्यक दस्तावेज तैयार किए गए हैं। इसके बाद, अपीलकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. श्री एम.पी. दुबे, आ.सा.– 2 और ओंकार प्रसाद, आ स– 1 ने नोटिस प्रदर्श पी–1, तलाशी ज्ञापन, प्रदर्श पी–2, वजन प्रमाण पत्र, प्रदर्श पी–3, चरस की जब्ती, प्रदर्श पी–4 और पंचनामा, प्रदर्श पी–5 को साबित किया है। श्री एम.पी. दुबे, पी.डब्लू.–2 ने आगे देहाती नालिशी, प्रदर्श पी–9, सान्हा में दर्ज सूचना, प्रदर्श पी–11, बिना तलाशी वारंट प्राप्त किए मौके पर जाने हेतु कार्यवाही करना, वह सान्हा प्रदर्श पी–12, उच्च अधिकारियों को भेजी गई सूचना, प्रदर्श पी–13, उस प्रविष्टि से संबंधित मौके पर जाने हेतु कार्यवाही करना, प्रदर्श पी–14, मालखाना रजिस्टर तथा मालखाना में जमा जब्त संपत्ति से संबंधित प्रविष्टि, प्रदर्श पी–15, जब्त नमूने के रासायनिक परीक्षण हेतु एफ.एस.एल. को भेजा गया पत्र, प्रदर्श पी–16, एफ.एस.एल. द्वारा दी गई पावती, प्रदर्श पी–17 तथा एफ.एस.एल. से प्राप्त रिपोर्ट, प्रदर्श पी–18 को साबित किया है। न्यायालय में विचारण के दौरान जब न्यायालय द्वारा उनका परीक्षण किया गया तो उन्होंने सुसंगत सील, वस्तु क, ख व छ को भी साबित किया। प्रतिपरीक्षण में श्री एम.पी. दुबे, आ. सा. 2 ने स्वीकार किया है कि संपत्ति दिनांक 13–09–1996 को मालखाने में जमा कर दी गई थी तथा दिनांक 19–10–1996 को

नमूना एफ.एस.एल. को भेज दिया गया था तथा दिनांक 29–10–1996 को उक्त नमूना एफ. एस. एल. द्वारा प्राप्त कर लिया गया था।

9. अपीलकर्ता का तर्क है कि इस तरह की अस्पष्ट देरी के कारण, यह संदेहास्पद है कि उसी वस्तु की रासायनिक परीक्षक द्वारा परीक्षण किया गया जिसे अपीलकर्ता के घर से ज़ब्त किया गया था । इस तर्क में कोई बल नहीं है क्योंकि संपत्ति को मौके पर ही सील कर दिया गया था और एफ. एस. एल. द्वारा संपत्ति प्रदर्श पी–17 के अनुसार सीलबंद स्थिति में बरक़रार प्राप्त की गई थी । अपीलकर्ता का आगे तर्क यह है कि तलाशी के लिए निर्धारित प्रक्रिया का थाना प्रभारी द्वारा विधि के अनुसार पालन नहीं किया गया है । इस तर्क में भी कोई बल नहीं है । श्री एम.पी. दुबे तलाशी लेने के लिए अधिनियम की धारा 42 के तहत अधिकृत अधिकारी हैं, जिन्होंने मुखबिर से सूचना मिलने पर उसे लिखित रूप में दर्ज किया । उन्होंने तलाशी वारंट या प्राधिकार प्राप्त किये बिना तलाशी लेने की कारणों को भी दर्ज किया । उन्होंने तत्काल अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचना भी भेजी तलाशी लेने के लिए उन्होंने आस – पास के स्वतंत्र साक्षियों को भी बुलाया और घर की तलाशी लेने के लिए आवश्यक प्रक्रिया का पालन करने के बाद उन्होंने अपीलकर्ता के साथ – साथ स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में घर की तलाशी ली ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. दोनों गवाहों का प्रतिपरीक्षण किया गया है लेकिन उनके प्रतिपरीक्षण मे कोई ठोस सबूत नहीं लाया गया है जिससे उनके कथन पर आविश्वास किया जा सके । उपरोक्त मौखिक कथन से, जो कि ऊपर वर्णित विभिन्न प्रमाणित दस्तावेजों से विधिवत सम्पुष्ट है, यह स्थापित हुआ कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपीलकर्ता के घर की तलाशी ली गयी है तथा तथाकथित संपत्ति चरस बरामद की गई है । रासायनिक परीक्षण में रिपोर्ट प्रदर्श पी –18 के अनुसार रासायनिक परीक्षक ने जब्त संपत्ति का नमूना चरस (हशीश) पाया है । मेरा यह मत है कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का मूल्यांकन करने और सम्बंधित प्रावधानों पर विचार करने के बाद अपीलकर्ता को चरस (हशीश) के अनधिकृत कब्जे के लिए सही ढंग से दोषी ठहराया है और अधिनियम की धारा 20 (बी) (ii) के

तहत उसे सही ढंग से दोषी ठहराया है और साथ ही उक्त प्रावधान के अनुसार उसे दंडित भी किया है ।

11. परिणामस्वरूप, अपील विफल हो जाती है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दडादेश की पुष्टि की जाती है। अपील खारिज की जाती है।

सही /–
विजय कुमार श्रीवास्तव
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By MS. SAKSHI BALI, ADV.